सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–14.05.2026 को संध्या 05.00 बजे VC के माध्यम से अपर समाहर्त्ताओं की राज्यस्तरीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– यथा पंजी में संधारित।

सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–14.05.2026 को राज्यस्तरीय अपर समाहर्त्ताओं की बैठक का आयोजन VC के माध्यम से किया गया। जिसमें विभाग के अन्य वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित हुए।

सर्वप्रथम सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अपर समाहर्त्ताओं का स्वागत किया गया।

1. **Farmer Registry** :– सचिव द्वारा जिलें में चल रहे Farmer Registry की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि खगड़िया, शेखपुरा, लखीसराय एवं अरवल में Farmer Registry काफी कम है, इसमें शीघ्रता लाने हेतु सभी अपर समाहर्त्ताओं को निदेशित किया गया। साथ ही बताया गया कि सोमवार को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में समाहर्त्ता के साथ बैठक आयोजित है। इस संबंध में उक्त बैठक की सूचना से समाहर्त्ता को अपने स्तर से अवगत करायेंगें।

Farmer Registry Pending FR for Approval as on 13.05.2026 तक सभी जिलों में 832325 (आठ लाख बतीस हजार तीन सौ पचीस) है, इसे शीघ्र पूर्ण कर लेने हेतु निदेशित किया गया। अपर समाहर्त्ता, पूर्णिया द्वारा बताया गया कि अंचलाधिकारी के लॉगिन में Show नही कर रहा है। इस पर विभागीय आई0टी0 मैनेजर द्वारा बताया गया कि पहले कर्मचारी के लॉगिन में Show करेगा। मधुबनी अपर समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि Approved करने पर संख्या माईनस में चला जाता है। सचिव द्वारा आई0टी0 मैनेजर को विसंगति को जाँच करते हुए इसे दूर करने का निदेश दिया गया।

2. **Mutation Defect Check** :– पी0पी0टी0 से समीक्षा के क्रम पाया गया कि पटना, कटिहार, वैशाली, गया एवं भागलपुर में Mutation Defect Check के मामलें अधिक मात्रा में पेंडिंग पाये गये है। इसे शीघ्रता से पूर्ण करने हेतु सभी अपर समाहर्त्ताओं को निदेश दिया गया।

3. **Online Mutation** :– सभी अपर समाहर्त्ताओं को ऑनलाइन दाखिल–खारिज का कार्य शीघ्रता से पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया। सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि अंचलाधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं राजस्व कर्मचारियों का हड़ताल अब समाप्त हो चुकी है, इस कार्य को शीघ्रता से कराया जाय।

4. **परिमार्जन प्लस** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 26 जिलें ऐसे है जिनका 10 प्रतिशत से नीचे परिमार्जन हुआ है। परिमार्जन कम होने से यह Farmer Registry में व्यवधान होगी। हड़ताल के कारण वितीय वर्ष के मई माह में कुछ भी प्रगति नहीं हुयी है। इस कार्य को शीघ्रता से पूर्ण कराने हेतु निदेशित किया गया।

परिमार्जन प्लस लेफ्ट आउट में 156 अंचल ऐसे है जहाँ एक भी मामलें डिस्पोज नहीं हुए है। इस कार्य को भी पूर्ण करने हेतु निदेश दिया गया।

5. **राजस्व कर्मचारी की स्थापना** :–जिन राजस्व कर्मचारियों का सेवा सम्पुष्टि एवं ए0सी0पी0 का अवधि पूर्ण हो चुका हो उन्हें नियमानुसार जिला स्थापना शाखा से पूर्ण कराने हेतु निदेश सभी अपर समाहर्त्ताओं को दिया गया। साथ ही राजस्व कर्मचारियों की अवकाश से संबंधित मामलों को भी त्वरित गति से निष्पादित करने हेतु निदेशित किया गया।

6. **अंचल अधिकारी के वेतन भुगतान से संबंधित मामलें :–** कतिपय अंचलाधिकारियों द्वारा सूचित किया गया है कि उनका वेतन भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। बैठक में विचार–विमर्श के दौरान यह संज्ञान में आया कि सीवान, सारण एवं गोपालगंज में वेतन का भुगतान लंबित है। इन जिलों के अपर समाहर्त्ताओं को निदेशित किया गया कि शीघ्र वेतन भुगतान किया जाय।

7. **सभी राजस्व न्यायालय हेतु विभाग द्वारा क्रय किए गए VC System के installation से संबंधित तैयारी :–** सभी अपर समाहर्त्ताओं को निदेश दिया गया कि आप लोगों को 10 से 15 दिन में VC System का installation करावा देना है। इसका खर्च कार्यालय व्यय से करना है। अलग से आवंटन का इंतजार नहीं करना है। अपर समाहर्त्ता, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं अंचलाधिकारी के राजस्व न्यायालय का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जून माह में किया जाना है।

8. **अपर समाहर्ता, नालंदा से मलमास मेला की तैयारी से संबंधित चर्चा :–** इस संबंध में अपर समाहर्त्ता, नालंदा द्वारा बताया गया कि मलमास मेला की तैयारी चल रही है। यथा आवासन, टॉयलेट, पीने का पानी, दीदी की रसोई की व्यवस्था की जा रही है। सचिव द्वारा अपर समाहर्त्ता, नालंदा को निदेश दिया गया कि जिला प्रशासन के साथ–साथ पर्यटन विभाग एवं वन एवं पर्यावरण विभाग से भी समन्वय स्थापित किया जाय। साथ ही सचिव द्वारा बैठक में बताया गया कि 17 मई 2026 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मलमास मेला का उद्घाटन किया जायेगा, जिसमें विभागीय मंत्री तथा सचिव के भी उपस्थित रहने की संभावना है।

9. **राजस्व कर्मचारियों के फिजिकल मीटिंग केवल शनिवार को, अन्य दिनों को VC के माध्यम से :–** राजस्व कर्मचारियों के साथ फिजिकल मीटिंग केवल शनिवार को आयोजित की जाएगी एवं अन्य दिन आवश्यकता होने पर VC के माध्यम से बैठक आयोजित की जा सकती है।

राजस्व कर्मचारी शनिवार को छोड़कर शेष सभी दिन अपने हल्का कार्यालय में बैठेगे वही पर लोगों की समस्या का निराकरण करेंगें। जिस कर्मचारी के पास एक से अधिक हल्का है। वे रोस्टर के अनुसार अपने हल्का में बैठेगे तथा इसकी सूचना प्रसारित कर देंगे। उक्त की जाँच थर्ड पार्टी से करायी जायेगी। इसकी सूचना सभी अंचलाधिकारी को अपने स्तर से देने का निदेश अपर समाहर्त्ता को दिया गया ।

10. **दाखिल–खारिज से संबंधित मामले :–** 120 दिन से अधिक समय से लंबित वादों का अगले 15 दिन में अनिवार्य रूप से निष्पादन करने हेतु सभी अंचलाधिकारियों को अपने स्तर से निदेशित करने के लिए निदेश दिया गया। साथ ही 3.10 लाख डिफेक्ट चेक में लंबित आवेदनों को पूर्ण कराने हेतु निदेशित किया गया।

11. **CM Dashboard एवं जन शिकायत पोर्टल से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा :–** माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा "सहयोग पोर्टल" का उद्‌घाटन किया गया है। इसमें जो भी आवेदन प्राप्त होंगे उसका निष्पादन 30 दिनों के अन्दर नहीं करने पर संबंधित पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जायेगी। उक्त परिपेक्ष्य में "सहयोग पोर्टल" पर प्राप्त आवेदनों को ससमय निष्पादित किये जाने का निदेश सचिव द्वारा दिया गया । विभाग स्तर पर नामित नोडल पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वैसे सभी आवदनों को ससमय निष्पादन कराया जाय तथा समय–समय पर इसकी सूचना भी दी जाय।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/–
(जय सिंह)
सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक– 10/सम0/(बैठक VC)–13/2023 649 (10)/रा0, दिनांक– 27/05/2026

E-mail

प्रतिलिपि–सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी समाहर्त्ता, बिहार/सभी अपर समाहर्त्ता, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.5.26
(देवेश कुमार)
उप सचिव।

ज्ञापांक– 10/सम0/(बैठक VC)–13/2023 649 (10)/रा0, दिनांक– 27/05/2026

प्रतिलिपि–निदेशक, तीनों निदेशालय/सभी अपर सचिव/ श्रीमती सिम्मी प्रसाद, अनुदेशक, चकबंदी–सह–नोडल पदाधिकारी, सहयोग पोर्टल/सभी उप सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.5.26
(देवेश कुमार)
उप सचिव।

ज्ञापांक– 10/सम0/(बैठक VC)–13/2023 649 (10)/रा0, दिनांक– 27/05/2026

प्रतिलिपि–विभागीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कोषांग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.5.26
(देवेश कुमार)
उप सचिव।